न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, [redacted] (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY — 5रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES — 5रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित विलोपित

मुस्तकीम तनय इसहाज बक्श, निवासी ग्राम दादर, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) निगरानी 2858/2018/रीवा/अन्य

—————आवेदक

बनाम

1— अब्बास तनय इसहाज बक्स

2— वंशलाल तनय अग्रनाथ कुर्मी, निवासी ग्राम दादर, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

3— अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) (औपचारिक)

—————अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क0—142/अपील/अ—66/ 2015—16 आदेश दिनांक 16/04/2018 मुताबिक धारा 7 म0प्र0 वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 ई0

(A.K. SHUKLA) 10/5/18

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध है ।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक क0—1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील बेरूम्याद थी जिसके सम्बन्ध में अनावेदक क0—1 व 2 द्वारा म्याद माफी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । आवेदक द्वारा समुचित कारण न होने का जबाव पेश किया गया था, किन्तु अनावेदक क0—1 व 2 द्वारा अपील में प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र पर बिना आदेश दिये तथा अपील के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी -2858/2018/रीवा/अन्य

मुस्तकीम विरूद्ध अब्बास आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/2/2019	आवेदक की ओर से श्री व्ही.के. शुक्ला अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला-रीवा के प्र. क्र. 142/अपील/अ-66/2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 16-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	